

प्रेषक - श्री. धर्मेन्द्र सिंह रुडकोट सी. ओ. ऑफिस केवलूर
तहसील कम्पलुड तालुक तश्वर जवपर हापुड

प्रेषित - श्रीमान जन सूचना अधिकारी / श्रीमान सी.ई.ओ. महोदय
पावर ग्रिड मेरठ सिम्हावली ट्रांसमिशन लि. प्लॉट नं. पाकेट
रू. गंगानगर मेरठ

विषय - जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1)
के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र -

शुभे ग्रेटर नोएडा हापुड 765 के वी. पारिवर्ण लाईन
निर्माण के समय टावरों और R.O.W के अन्तर्गत आये पेड़ों के
के सम्बन्ध में निम्न सूचना / जानकारी / उपलब्ध दरतावेजों की
प्रमाणित प्रतिलिपि समयावधि में प्रदान करने का कह कर।

1) यह कि ग्रेटर नोएडा हापुड 765 के वी. पारिवर्ण लाईन
निर्माण हेतु टावर लगाने के समय जो कारतव के लिए
प्रतिबन्धित पेड़ काटा जाय, शीशम, सागौन, खैर आदि जो
काट चुके हैं जिन्हें काटने की परमीशन बन विभाग से ली
गयी किसानों के नाम पेड़ों की संख्या, उनकी उम्र और
खसरा जम्बर की सूची उपलब्ध कराने का कह कर।

2) वर्तमान में कितने प्रतिबन्धित पेड़ काटने के लिए लाईन के
नीचे और R.O.W के अन्तर्गत आते हैं। किसानों के नामों
पेड़ों की संख्या उनकी उम्र और खसरा जम्बर सहित सूची प्रदान करें।

3) यह कि कितने पेड़ इपिल पापुलर, शुक, लिपि.स, वकायन और
अन्य अप्रतिबन्धित जो लाईन निर्माण हेतु टावरों निर्माण में
काट चुके हैं या वर्तमान में लाईन के नीचे हैं या R.O.W
के अन्तर्गत आते हैं जिन्हें काटा जायेगा की सूची
किसानों के नाम, पेड़ों की संख्या किसमें, और उम्र सहित
प्रदान करने का कह कर।

4) यह कि प्रतिबन्धित पेड़ जिन्हें काटने हेतु परमीशन हेतु
आवेदन किया गया है उनकी संख्या बताने का कह कर।

5) यह कि प्रतिबन्धित पेड़ जिन्हें टावर और लाईन निर्माण
के समय काट दिया गया उन्हें काटने हेतु ली गयी परमीशन
की प्रतिलिपि प्रदान करने का कह कर।

अतः श्रीमान जी से सानु रोच प्रार्थना है
कि उपरोक्त सूचना / जानकारी समयावधि में देकर
काट करे

दिनांक 14/03/2022
संलग्न दस शुल्क 10 रु का
मा.पो.आ.स. 937232
संलग्न है

शुभे ग्रेटर नोएडा
श्री. धर्मेन्द्र सिंह रुडकोट
सी.ओ. ऑफिस केवलूर
तहसील कम्पलुड तालुक (हापुड)
Mob No. 875581110